

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (युप-३) विभाग

क्रमांक:- प.23 (2) चि. एवं स्वा.3 / 2003 पार्ट

दिनांक

= 1 APR 2011

अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 16 ए की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के गठन हेतु पूर्व में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.07.2003 के क्रम संख्या 9 से 16 पर उल्लेखित सदस्यों का निम्नानुसार मनोनयन करती है:-

1. डा० शकुन्तला वर्मा, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर (सामाजिक विज्ञानी)।
2. श्री मनोज व्यास, अतिरिक्त निदेशक, वादकरण, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर (विधि विशेषज्ञ)।
3. डा० पवन सुराणा, संयोजक, लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्यां विरोधी अभियान, राजस्थान (एनजीओ से सक्रिय महिला सदस्य)।
4. डा० मीता सिंह, सक्रिय कार्यकर्ता, जन स्वास्थ्य, ई-24, दुर्गा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (एनजीओ से सक्रिय महिला सदस्य)।
5. डा० ए.सुमन, अधीक्षक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर (स्त्री रोग विशेषज्ञ)।
6. डा० विमला जैन, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज, जयपुर (स्त्री रोग विशेषज्ञ)।
7. डा० चन्द्र कुमार चाहर, प्रोफेसर, शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर (शिशु रोग विशेषज्ञ)।
8. डा० रामावतार शर्मा, ऐसोसिएट प्रोफेसर, कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (अनुवांशिक विज्ञानी)।
9. डा० सतीश कच्छावा, प्रोफेसर, रेडियो डायग्नोसिस, मेडीकल कॉलेज, बीकानेर (रेडियोलोजिस्ट)।
10. डा० जफर, मेडीटेक पैथ लैब, शहीद महेश सिंह पेट्रोल पम्प के सामने, कालवाड़ रोड झोटवाड़ा, जयपुर (सोनोलोजिस्ट)।

नोट :- उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मातादीन शाम)

उपशासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मन्त्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव (परिवार कल्याण) एवं मिशन निदेशक (एनआरएचएम), राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आर्युर्वेद एवं होम्योपैथिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर
12. निजी सचिव, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान
13. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, निर्माण भवन जयपुर।
14. अवर सचिव, भारत सरकार स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
15. समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
16. समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं जिला कलैक्टर, राजस्थान।
17. अनुभाग अधिकारी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
18. सहायक आयुक्त (पॉलिसी) स्वारथ्य एवं प०क० मन्त्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
19. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
20. निदेशक, पीएनडीटी, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, नई दिल्ली।
21. डा० शकुन्तला वर्मा, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर
22. श्री मनोज व्यास, अतिरिक्त निदेशक, वादकरण, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
23. डा० पवन सुराणा, संयोजक लिंग चयन एवं कन्या भूण हत्या विरोधी अभियान, राजस्थान
24. डा० मीता सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, ई-२४, दुर्गा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर
25. डा० ए.सुमन, अधीक्षक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर
26. डा० विमला जैन, प्रोफेसर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज, जयपुर
27. डा० चन्द्र कुमार चाहर, प्रोफेसर, शिशु रोग विशेषज्ञ मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
28. डा० रामावतार शर्मा, ऐसोसिएट प्रोफेसर कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर
29. डा० सतीश कच्छावा, प्रोफेसर, रेडियो डायग्नोसिस, मेडीकल कॉलेज, बीकानेर
30. डा० जफर, मेडीटेक पैथ लैब, शहीद महेश सिंह पेट्रोल पम्प के सामने, कालवाड़ रोड झोटवाड़ा, जयपुर।
31. निदेशक (जन स्वा०)/(आई.ई.सी.)/(प०क०)/(एडस), मुख्यालय।
32. समस्त उपर्युक्त अधिकारी, राजस्थान।
33. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान।
34. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
35. समस्त जिला नोडल अधिकारी (पीसीपीएनडीटी) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
36. समस्त अतिरिक्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प०क०)/(स्वास्थ्य) राजस्थान।
37. उप चिकित्सा परामर्शी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
38. समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
39. उप निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
40. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया इसे आज के असाधारण राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने का श्रम करें।
41. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
